सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 श्रावण, 1947 (श०)

संख्या - 397 राँची, शुक्रवार, 8 अगस्त, 2025 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

16 जुलाई, 2025

संख्या-5/आरोप-1-514/2014 का०-4196--श्री पारस नाथ यादव, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-632/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चतरा के विरूद्ध उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-499/स्था०, दिनांक 11.09.2014 द्वारा आरोप-पत्र प्रपत्र 'क' में गठित कर उपलब्ध कराया गया। आरोप पत्र में श्री यादव के विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किया गया-

1. दिनांक 15.10.2009 को रोकड़ पंजी के अनुसार सामान्य रोकड़ पंजी की पृ० सं0-23 में रोकड़ विवरणी अंश-"A" के अनुसार अवशेष राशि 56274837.66 (पाँच करोड़ बासठ लाख चौहतर हजार आठ सौ सैतिस रूपये छियासठ पैसे) थी। दिनांक 15.10.2009 से दिनांक 05.11.2009 तक रोकड़ का आय-व्यय शून्य रहने के बावजूद दिनांक 06.11.2009 को प्रारंभ शेष की राशि मात्र सहायक रोकड़ पंजी को आधार मानकर 45468044.59 (चार करोड़ चौवन लाख अरसठ हजार चौवालिस रूपये उनसठ पैसे) दर्शायी गयी। इस प्रकार उपरोक्त अवधि में 10806793.07 (एक करोड़ अस्सी लाख छः हजार सात सौ तिरानबे रूपये सात पैसे) की अंतर पायी गयी, जिसका कोई ठोस औचित्य रोकड़ पंजी पर मिलता है ।

2. पूर्व की रोकड़ को आधार मानते हुए दिनांक 16.07.2010 को सामान्य रोकड़ पंजी पर 67046012.59 (छः करोड़ सतर लाख छियालिस हजार बारह रूपये उनसठ पैसे) की अंतशेष राशि दर्शायी गयी। जबकि पूर्व की अंतर राशि 10806793.07 (एक करोड़ अस्सी लाख छः हजार सात सौ तिरानबे रूपये सात पैसे) को जोड़कर उक्त तिथि पर 77852805.07 (सात करोड़ अठहतर लाख बावन हजार आठ सौ पाँच रूपये सात पैसे) होने चाहिए था। दिनांक 16.07.2010 को ही बैंक समाधान विवरणी के अनुसार कुल 47288726.39 (चार करोड़ बहतर लाख अठासी हजार सात सौ छब्बीस रूपये उनचालिस पैसे) था, परन्तु रोकड़ पंजी में उपर्युक्त 77852805.07 (सात करोड़ अठहतर लाख बावन हजार आठ सौ पाँच रूपये सात पैसे) की उपलब्धता बताई गई। उक्त तिथि पर बैंक से प्राप्त बैंक समाधान विवरणी की राशि 47288726.39 (चार करोड़ बहतर लाख अठासी हजार सात सौ छब्बीस रूपये उनचालिस पैसे) को आधार मानकर पुनः इसी तिथि (16.07.2010) को अग्रिम एवं अभिश्रव की राशि की स्थिति निम्नवत् होती है

(क)	बैंक खाता में-	47288726.39
(ख)	अग्रिम में-	3367648.00
(ग)	अभिश्रव में-	2190901.00
	योग-	52847275.29 (पाँच करोड़ अठाइस लाख सैंतालिस हजार दो सौ पचहतर रूपये उनतिस पैसे मात्र)

अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार दिनांक 15.10.2009 को अग्रिम एवं अभिश्रव राशि की स्थिति यथावत थी और ये दोनों पंजियाँ अंकेक्षक दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई ।

3. **चेक निर्गत करने के पश्चात संबंधित रोकड़ पंजी में दर्ज कर लेखा अद्यतन नहीं करना**- लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि दीनदयाल आवास योजना, नरेगा योजना, विद्यालय कोष की योजनाओं के लिए बड़ी संख्या में 1,30,13,631.00 (एक करोड़ तीस लाख तेरह हजार छः सौ एकतीस रूपये) के चेक निर्गत किये गये परन्तु इन चेकों के आधार पर उत्पन्न व्यय राशि को संबंधित रोकड़ पंजी में दर्ज कर लेखा की प्रविष्टि नहीं की गई ।

4. **राशि का विचलन-** अंकेक्षक दल द्वारा जाँच के क्रम में पाया गया कि दीनदयाल आवास योजना के उपलब्ध निधि को नरेगा की योजनाओं के लिए विभिन्न पंचायत सेवकों को चेक द्वारा भुगतान किया गया परन्तु इसकी प्रविष्टि न तो दीनदयाल आवास योजना और न ही नरेगा की रोकड़ पंजी में की गई। इस प्रकार कुल 72,93,807.00 (बहतर लाख तिरानबे हजार आठ सौ सात रूपये) की गड़बड़ी की गई है। कुछ निर्गत चेकों को चेक पंजी में भी दर्ज नहीं किया गया है। 30,00,000.00 (तीस लाख रूपये) का जिक्र बैंक विवरणी में अंकित नहीं है। अंकेक्षक दल को यह पता नहीं चल पाया कि उपर्युक्त रकम का नकदीकरण बैंक से हुआ अथवा नहीं ।

5. **सामान्य रोकड़ पंजी में मदवार सभी लेखा विवरणी की जाँच किये बिना प्रभार ग्रहण के समय मात्र सहायक रोकड़ पंजी के आधार पर प्रभार प्राप्त कर सही ढंग से लेखा की जाँच नहीं करना-** दिनांक 15.10.2009 तक श्री कुंदन कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के प्रभार में थे। उन्होंने सहायक रोकड़ पंजी के आधार पर 4,54,68,044.59 (चार करोड़ चौवन लाख अरसठ हजार चौवालिस रूपये उनसठ पैसे) का प्रभार श्री अमित बेसरा, अंचल अधिकारी, लावालौंग को उपायुक्त, चतरा के आदेश ज्ञापांक-1469/गो०, दिनांक 14.10.2009 के आलोक में सौंपा। उस समय श्री प्रमोद कुमार माथुर नाजिर के प्रभार में थे और उक्त तिथि पर कुल उपलब्ध रकम 56274837.66 (पाँच करोड़ बासठ लाख चौहतर हजार आठ सौ सैतिस रूपये छियासठ पैसे) मद में थी। उक्त रोकड़ विवरणी के अंश-"A" के आलोक में श्री पारसनाथ यादव ने दिनांक 23.10.2009 को श्री अमित बेसरा से प्रभार ग्रहण किया। दिनांक 06.11.2009 को संधारित रोकड़ पंजी की प्राप्ति में भी 45468044.59 (चार करोड़ चौवन लाख अरसठ हजार चौवालिस रूपये उनसठ पैसे) को प्रारंभ शेष माना गया जबकि सामान्य रोकड़ पंजी में सभी मदों की कुल राशि उपयुक्त अंश-"A" के अनुसार कुल राशि मो० 56274837.66 (पाँच करोड़ बासठ लाख चौहतर हजार आठ सौ सैतिस रूपये छियासठ पैसे) के अनुरूप ही अगली तिथि अर्थात दिनांक 06.11.2009 को प्रारंभ शेष राशि 56274837.66 (पाँच करोड़ बासठ लाख चौहतर हजार आठ सौ सैतिस रूपये छियासठ पैसे) के अनुसार होना चाहिए था। इस प्रकार 56274837.66-45468044.59 रूपये अर्थात कुल 10806793.07 (एक करोड़ अस्सी लाख छः हजार सात सौ तिरानबे रूपये सात पैसे) की लेखा संधारण में चूक हुई है। नियमानुसार सामान्य रोकड़ पंजी में बैंक खाता की राशि, अग्रिम राशि, अभिश्रव की राशि एवं एकहरताला की राशि का कुल योग के अनुसार आदान-प्रदान होना चाहिए था ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-10297, दिनांक 21.10.2014 एवं स्मार पत्रों द्वारा श्री यादव से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री यादव के पत्र, दिनांक 03.08.2016 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। श्री यादव के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-8512, दिनांक 30.09.2016 द्वारा उपायुक्त, चतरा से मंतव्य की माँग की गई। उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-48/स्था०, दिनांक 23.01.2018 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया। उपायुक्त, चतरा द्वारा समर्पित मंतव्य में श्री यादव के स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, प्रतिवेदित किया गया ।

श्री यादव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं उपायुक्त, चतरा से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-1177(HRMS), दिनांक 31.07.2018 द्वारा श्री यादव के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-96, दिनांक 23.04.2019 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। संचालन पदाधिकारी का मंतव्य निम्नवत् है

आरोप सं0-1- आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है ।
आरोप सं0-2- आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है ।
आरोप सं०-3- आरोप सही प्रतीत होता है ।
आरोप सं0-4- आंशिक रूप से सही प्रतीत होता है ।
आरोप सं0-5- आरोप सही प्रतीत होता है ।

श्री यादव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक-9498, दिनांक 28.11.2019 द्वारा उपायुक्त, चतरा से कतिपय बिन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। उपायुक्त, चतरा के पत्रांक-142, दिनांक 18.04.2023 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया ।

श्री यादव के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उपायुक्त, चतरा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री यादव के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवही को झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) में सम्परिवर्तित करते हुए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम43(ख) के अन्तर्गत इनके पेंशन से 50% राशि की कटौती आजीवन करने का दण्ड प्रस्तावित किया गया ।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-3768, दिनांक 04.07.2023 द्वारा श्री यादव से कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्री यादव के पत्र दिनांक 24.11.2023 द्वारा कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया। कारण पृच्छा में समर्पित बिन्दु निम्नवत् -है

(i) संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके द्वारा समर्पित बचाव बयान का सही ढंग से समीक्षा नहीं कर आरोप सं0-1, 2 एवं 4 को आंशिक रूप से सही तथा आरोप सं०-3 एवं 5 को सही प्रतीत होता है, प्रतिवेदित किया गया है। विभाग द्वारा भी इसे गबन का मामला मानते हुए उनके पेंशन से 50 प्रतिशत राशि की कटौती करने का निर्णय न्यायोचित नहीं है। उक्त कठोर दण्ड के फलस्वरूप ये मानसिक रूप से बहुत परेशान हैं। ये हार्ट एवं किडनी तथा गंभीर मधुमेह रोग से पीड़ित हैं। कुछ दिन पूर्व उनके हार्ट का सर्जरी हुआ है तथा डायलिसिस पर भी है।

(ii) उनके पूर्ववर्ती पदाधिकारी श्री अमित बेसरा द्वारा पूर्व के पदाधिकारी श्री कुन्दन कुमार से मो० 45468044.59 (चार करोड़ चौवन लाख अड़सठ हजार) का प्रभार ग्रहण किया। इस प्रभार के लेन-देन में पूर्व का अंतर राशि (क) 214930.25 (एक्कीस लाख चार हजार नौ सौ तीस रु० पच्चीस पैसे) (ख) सिंगल लौक राशि 462.82 (चार सौ बासठ रु० बेरासी पैसे) (ग) चेक क्लीयरेंस राशि 8657400.00 (छियासी लाख संतावन हजार चार सौ) का प्रभार नहीं लिया गया। उनके द्वारा सिर्फ सामान्य रोकड़ पंजी (सभी सहायक रोकड़ पंजी के योग की राशि) 4,54,08044.59 रु० राशि का प्रभार अदान-प्रदान किया गया ।

लेकिन भारग्राही पदाधिकारी के रुप में उनके द्वारा सामान्य रोकड़ बही के पृ०सं०-23 के स्तम्भ 'A' में अंकित राशि जिसका कुल योग 56274837.66 (पाँच करोड़ बासठ लाख चौहतर हजार आठ सौ सैतीस रु० छियासठ पैसा) का प्रभार ग्रहण किया गया, जिसमें (A) रोकड़ बही राशि (45408044.59) (b) पूर्व की अंतर राशि (2148930.25) (c) सिंगल लॉक की राशि (462.82) (d) अग्रीम की राशि (340.1290) (e) अभिश्रव की राशि (215659.32) तथा (f) चेक क्लीयरेंस की राशि (8657400) शामिल है ।

स्पष्ट है कि पूर्व की अंतर राशि (214893.25+462.82+8657400= 1086793) रू० के कारण आरोप पत्र गठन किया गया, जो सही नहीं है, क्योंकि इसका औचित्य सामान्य रोकड़ बही में मौजूद है। इस प्रकार 10806793.07 रू0 कोई रोकड़ बही में अंतर नहीं है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार का वित्तीय अनियमितता नहीं किया गया है ।

(iii) दिनांक 16.07.2010 को सामान्य रोकड़ बही अन्त शेष 67046012.59 रू0 था। अकेक्षण दल द्वारा पूर्व की अन्तर राशि, जिसका ब्रेकअप ये पूर्व में दे चुके हैं, 1080606793.07 रू० को भी प्रारंभ शेष में शामिल किया गया, जो सही नहीं लगता है, क्योंकि 10806793.07 की राशि में पूर्व की अंतर राशि, सिंगल लॉक की राशि तथा चेक किलियरेन्स की राशि शामिल है। सामान्य रोकड़ पंजी के प्रारंभिक शेष में सभी सहायक रोकड़ पंजी के अंतशेष को ही प्रारंभ शेष लिया जाता है। अभिश्रव की राशि, सिंगल लॉक की राशि तथा अग्रिम की राशि का जोड़ प्रारंभिक शेष में नहीं आते है। इस राशि को जोड़ का मिलान उस तिथि को सभी सहायक रोकड़ पंजी की राशि जोड़कर उस तिथि को सामान्य रोकड़ बही के अवशेष राशि के बराबर होनी चाहिए था। यही उनके कार्यकाल में किये गये है ।

पूर्व की अंतर राशि मो० 2148930.25 सामान्य रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या-23 पर जो अन्तर राशि दर्शायी गयी है, वह सूद की राशि है, जिसकी प्रविष्टि पूर्व नाजीर द्वारा दिनांक 22.07.1998 के बाद से नहीं लिया गया है। श्री अजय कुमार कंठ के नजारत के प्रभार के उपरान्त दिनांक 03.11.2010 से सुद की राशि की रोकड़ पंजी में प्रविष्टि नियमित रूप से किया गया है ।

(iv) चेक से संबंधित अभिश्रव का प्रविष्टि नाजीर का दायित्व है, जिसका जाँच प्रधान सहायक द्वारा की जाती है। लेकिन ऐसा पूर्व नाजीर द्वारा नहीं किया गया है। श्री अजय कुमार कंठ द्वारा नजारत का प्रभार ग्रहण करने के पश्चात पूर्व नाजीर श्री मदन तिवारी द्वारा विधिवत् कैश बुक संधारण नहीं करने एवं बैंक में राशि कम रहने के कारण श्री कंठ को प्रभार नहीं दिया गया। दिनांक 03.11.2010 से श्री कंठ द्वारा प्रभार ग्रहण करने के पश्चात बैंक Shortage के संबंध में उनके द्वारा गहन जाँच के उपरांत पता चला कि पूर्व नाजीर द्वारा सभी मद की योजना में चेक निर्गत किया है, लेकिन संबंधित भुगतान अभिश्रव की प्रविष्टि नहीं करने के कारण ही Shortage है, जिसकी सूची उनके द्वारा तैयार कर उसकी प्रविष्टि श्री कंठ के कार्यकाल में कराकर Shortage राशि का समायोजन करने की कार्रवाई की गयी है ।

(v) नरेगा मद में राशि उपलब्ध नहीं रहने के कारण मजदूरों को तय समय सीमा में मजदूरी भुगतान हेतु 31,00,000.00 (एकतीस लाख) रु० दीनदयाल योजना मद से संबंधित पंचायतों को राशि उपलब्ध कराया गया है। डी०आर०डी०ए०, चतरा से 1,00,00,000.00 (एक करोड़) रू० का राशि प्राप्त होने के तुरंत ही दीनदयाल मद की खाता में 31,00,000.00 (एकतीस लाख) रू० हस्तांतरित किया गया है एवं शेष बची राशि 69,00,000.00 लाख में से पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर से कार्यरत योजनाओं में नरेगा मद में व्यय किया गया। राशि का समायोजन डी०आर०डी०ए०, चतरा से राशि प्राप्त होने पर कर लिया गया है। इस प्रकार अंकेक्षण दल की टिप्पणी में अंकित 72938076 की गड़बड़ी की गयी है, यह आरोप सत्य प्रतीत नहीं होता है ।

श्री यादव से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि रोकड़ पंजी के संधारण में पूर्ण रूप से अनियमितता बरती गई है। एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय की गयी है। बहुत सारे चेकों की राशि की प्रविष्टि रोकड़ पंजी में नहीं की गयी है। सूद की एक बड़ी राशि की प्रविष्टि भी रोकड़ पंजी में अंकित नहीं है। फलस्वरूप अग्रिम एवं अभिश्रव सहित वास्तविक उपलब्ध राशि एवं रोकड़ पंजी में अंकित अंत शेष राशि में काफी राशि, जो करोड़ों में है, का अंतर है। अतः राशि गबन से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

समीक्षोपरांत श्री यादव के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत उनके पेंशन से 50% राशि की कटौती आजीवन किये जाने के प्रस्तावित दण्ड को संशोधित करते हुए उनके पेंशन से 20% राशि की कटौती आजीवन करने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री द्वारा लिया गया ।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-1336, दिनांक 22.02.2024 एवं स्मार पत्रों द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची से श्री यादव के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत पेंशन से 20% राशि की कटौती आजीवन करने के दण्ड पर सहमति संसूचित करने का अनुरोध किया गया। झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक-1386, दिनांक 17.06.2025 द्वारा श्री यादव के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अंतर्गत पेंशन से 20% राशि की कटौती आजीवन करने तथा विशेष अंकेक्षण के पश्चात् यदि इनके कार्यकाल में राशि गबन का प्रतिवेदन प्राप्त होता है, उक्त प्रतिवेदित राशि भी वसूलीय होगी, पर सहमति प्रदान की गई ।

अतः समीक्षोपरांत, श्री पारस नाथ यादव, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-632/03), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी चतरा के विरूद्ध **झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के अन्तर्गत उनके पेंशन से 20% राशि की कटौती आजीवन करने के दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही, विशेष अंकेक्षण के पश्चात् यदि इनके कार्यकाल में राशि गबन का प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तो उक्त प्रतिवेदित राशि भी वसूलनीय होगी ।**

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री पारस नाथ यादव, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 397 - 50